पत्रांक–भवन/विधि–विविध–03/2021............................/ 9844 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह (भा0प्र0से0),
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)
भवन निर्माण विभाग ।

पटना दिनांक– 5/12/ 2023

विषयः– सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न वादों के तथ्यविवरणी के संबंध में दिशा–निर्देश ।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–5775(भ), दिनांक–30.09.2021.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जानेवाले विभिन्न वादों की तथ्यविवरणी के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया था, परन्तु यह देखा जा रहा है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो खेदजनक है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि तथ्यविवरणी उपलब्ध कराते समय प्रासंगिक पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा जाय ।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/ 04/12/2023

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

5775(ग)

पत्रांक-भवन/विधि-विविध-03/2021..............................

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

वर्षा सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)
भवन निर्माण विभाग ।

पटना दिनांक- 30.9. 2021

विषयः- सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न वादों के तथ्यविवरणी के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महाशय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न वादों की तथ्यविवरणी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण रहने के साथ-साथ ससमय भी उपलब्ध नहीं करायी जाती है ताकि विभागीय स्तर पर सुनवाई के पूर्व विस्तृत समीक्षा की जा सके। साथ ही इनके साथ याचिका की प्रति एवं अनुलग्नक की प्रति भी संलग्न नहीं रहती है एवं प्राप्त तथ्यविवरणी याचिका के अनुसार कंडिकावार भी नहीं रहती है।

अतः इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न वादों के तथ्यविवरणी में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए -

1. तथ्यविवरणी याचिका के अनुसार कंडिकावार तैयार किया जाए।
2. तथ्यविवरणी के साथ याचिका की प्रति एवं सभी संबंधित अनुलग्नक संलग्न हों ।
3. तथ्यविवरणी पर संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के हस्ताक्षर निश्चित रूप से अंकित किये जाए ।
4. मुख्यालय स्तर से अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने वाले तथ्यविवरणी की समीक्षा संबंधित कार्यालय द्वारा भी की जाय एवं संबंधित अभिलेखों को पतांकित करते हुए संचिका उपस्थापित करने वाले सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाए ।
5. विधिक मामलों की सभी संचिकाओं में मामलें के तकनीकी बिन्दु की समीक्षा योजना अभियंता से लेकर अंतिम रूप से मुख्य अभियंता करेंगे एवं विधिक बिन्दु की समीक्षा विधि पदाधिकारी करेंगे । मामले की एतद्-अनुरूप सम्पूर्ण समीक्षा संबंधित विधि शाखा के कनीय प्रभारी पदाधिकारी करते हुए संचिका अग्रसारित करेंगे ।
6. सभी तथ्यविवरणी सुनवाई की तिथि के न्यूनतम 15 दिन पूर्व तथा urgent cases में न्यूनतम 7 दिन पूर्व पूर्ण एवं त्रुटिरहित प्रारूप में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निश्चित रूप से विभाग में समर्पित कर दिये जाए।
7. तथ्यविवरणी प्रारूप निर्माण के समय सभी तकनीकी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी विभागीय पक्ष की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देंगे । तथ्यविवरणी की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने से न केवल विभागीय पक्ष माननीय न्यायलय में कमजोर पड़ता है बल्कि माननीय न्यायालय द्वारा विभाग पर आर्थिक दंड का भी अधिरोपण किया जाता है।

8. संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल से संबंधित विभिन्न वादों का अनुश्रवण (Monitoring) संबंधित सरकारी अधिवक्ता से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित कर करते रहेंगे ताकि विभाग को विषम स्थिति का सामना न करना पड़े । विलम्ब से उत्पन्न विषम परिस्थिति की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेवार समझें जायेंगे ।

9. भुगतान के मामलों में यदि कार्यपालक अभियंता द्वारा अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जाता है तो जबावदेही तय की जायेगी एवं राशि की वसूली पर भी निर्णय लिया जायेगा ।

इसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा जाय ।

विश्वासभाजन

29/09/2021

(वर्षा सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 5775 (भ) पटना, दिनांक- 30.9.21

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/09/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।